न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 32/2017

सर्वजीतकौर पत्नी दिदारसिंह पुत्री कृष्णसिंह जाति जटसिख निवासी दादूवाल तहसील गढशंकर जिला होशियार पंजाब जरिये मु.आम सुखवीरसिंह पुत्र गुरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी 24 पी.एस. तहसल रायसिंहनगर। ––अपीलार्थी

बनाम

1. बलजिन्द्रसिंह	पिसरान जोगेन्द्रसिंह	जाति जटसिख निवासी 79 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरजीतसिंह		
3. जितेन्द्रसिंह		
4. पलविन्द्रसिंह	पिसरान चरणसिंह	
5. हरदीपकौर		

5/1 गुनतासिंह पुत्र तरनदीपसिंह जाति जटसिख निवासी 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. छिन्द्रकौर पुत्री कर्मकौर जाति जटसिख निवासी 79 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर। ––रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 06.03.2017

उपस्थितिः–

श्री प्रीतमसिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अवतारसिंह अभिभाषक रेस्पों.

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 21.05.2018

21/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष एक वाद पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे चक 24 पी.एस. के मु.नं. 31 के कि.नं.10, 11, 12, 19 से 21 की 5 बीघा भूमि के सम्बन्ध में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखने एवं रहन बैय नहीं करने का अनुतोष चाहा। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 06.03.2017 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अधी. न्यायालय में प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं है। वकील अपीलांट ने अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2017 को अपास्त करते हुए प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 06.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रा. पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत खारिज किया है जबकि विवादित आराजी अपीलांट के पिता द्वारा रजिस्टर्ड बेचाननामे से क्रय कर अपीलांट का पिता Bonafied purchaser होकर अपीलांट अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त

21/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करने का अधिकारी है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 का है जिसके लिए तीन Principles governing The grant of temperory injunction आज्ञापक है यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन अनिवार्य है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा दी जाती है तब तीनों बिन्दुओं का विवेचन mandatory है अगर नहीं दी जाती है तो भी तीनों बिन्दू साबित न होना विवेचित होना mandatory है परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा आज्ञापक बिन्दुओं का विवेचन तो दूर वर्णन तक नहीं किया जबकि विवादित आराजी अपीलांट के पिता द्वारा जरिये रजिर्स्टड बेचाननामें से क्रय की जानी जाहिर की गई है, जब तक यह बेचाननामा सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता जो अपीलांट के पक्ष में तीनों बिन्दुओं के विवेचन का पर्याप्त आधार है। क्योंकि अपीलांट Bonafied purchaser का वारिस जाहिर किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.03.2017 अपास्त किया जाता है तथा अधी. न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 28.08.2015 वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर